Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **चूरू में पुलिस कानिस्टेबल 5 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *18 अक्टूबर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की चूरू इकाई द्वारा आज सोमवार को कार्यवाही करते हुये जगतसिंह जाट कानिस्टेबल, पुलिस चौकी रामपुरा, पुलिस थाना हमीरवास, जिला चूरू को परिवादी से 5 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की चूरू इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्ध शिकायत में कोई कार्यवाही नहीं करने एवं मामला रफा–दफा करने की एवज में जगतसिंह जाट कानिस्टेबल, पुलिस चौकी रामपुरा, पुलिस थाना हमीरवास, जिला चूरू द्वारा 10 हजार रूपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी चूरू के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आनन्द प्रकाश स्वामी** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री शब्बीर खान** एवं उनकी टीम के साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुये जगतसिंह जाट पुत्र श्री इकलास राम निवासी ढ़ाणी मनसुख, पुलिस थाना लूहारू हरियाणा हाल कानिस्टेबल, पुलिस चौकी रामपुरा, पुलिस थाना हमीरवास, जिला चूरू को परिवादी से 5 हजार रूपये रिश्वत की राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान ही परिवादी से 5 हजार रुपये रिश्वत राशि के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** 94135–02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।